


20.11.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या बदी
संप्र उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का
वादपत्र अदम पेशी - अदम हाजिरी में इसी
द्वार पर खातिज किया जाता है। पत्रावली
बाद तरीक तकमील होकर डाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर बुले अप्पलप
में बुनापा गया।



(प्रिया बजाज)
RAS.